न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला
राजस्व प्रार्थना पत्र 11/2017

सुवालाल पुत्र श्री नाथुदास जी वैष्णव जाति वैष्णव निवासी ग्राम बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
..................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।
................अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता ने सारांषतः निवेदन किया है कि मौजा फतेहगढ पटवार क्षेत्र लाम्बा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 11 व 13 में तथा मौजा शेरगढ मे खसरा न. 203 भूमियां है, इनमें से प्रार्थी का नाम सुवालाल पुत्र नाथुदास से चला आता था।

वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में भी प्रार्थी की वल्दियत नाथूदास से दर्ज हुई इसके बाद कायम की गई रोटेषन जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 व 2043 से 2046 तक प्रार्थी सुवालाल के पिता का नाम नाथूदास सही दर्ज किया जाता रहा। उसके बाद कायम हुई रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 एवं 2051 से 2054 व 2055 से 2058 तक गलत वल्दियत लादूदास से दर्ज कर दी गई उसके पश्चात ग्राम शेरगढ़ की बनी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 के खसरा नम्बर 203 में सुवादास वल्द नानूदास दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी सुवालाल की वल्दियत लादूदास व नानूदास सहवन से रोटेशन जमाबन्दी बनाते समय दर्ज कर दिये गये है जबकि सही नाम प्रार्थी सुवालाल वल्द नाथूदास है जिसे दुरूस्त करवाने की कृपा करावें।

मैनें प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मसूदा ने भी जवाब पेश कर निवदेन किया है कि उक्त प्रकरण में त्रुटि सुधार की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाद अवलोकन पत्रावली, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा मोजा फतहगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2047 से वर्तमान तक खसरा नम्बर 11 व 13 में प्रार्थी के पिता की वल्दियत सहवन से सुवादास वल्द लादूदास अंकित कर दी गई है उसके स्थान पर सुवादास पुत्र नाथूदास तथा मौजा शेरगढ़ स्थिति आराजी खसरा नम्बर 203 में जमाबन्दी संवत् 2058–61 के बाद से वर्तमान जमाबन्दी तक सहवन से सुवादास पुत्र नानूदास अंकित कर दिया गया है उसके स्थान पर सुवादास पुत्र नाथूदास दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर पारित किये जाते है। यथानुसार जरिए नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में पूर्व की जमाबन्दियों से वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज करवाया जावे। प्रार्थना पत्र फेसल शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2018 राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प कोर्ट में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:39:19 IST
Reason: SelfAttested